13.01.2023

सीपीपी आईडी: 2023_APEDA_694507

दिनांक 14 से 18 मार्च, 2023 को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में "आहार 2023" के दौरान एपीडा पवेलियन की डिजाइनिंग और निर्माण-कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु निविदा

1. आवश्यकताएं:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" दिनांक 14 से 18 मार्च, 2023 को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले "आहार 2023" में भाग ले रहा है (इसके बाद "इवेंट" के रूप में जाना जाता है)। एपीडा द्वारा अपने अनुसूचित उत्पादों के विकास और संवर्धन को प्रदर्शित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए अपना पवेलियन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इवेंट के लिए **हॉल नं. 5** में एपीडा पवेलियन का सकल क्षेत्र 3000 वर्ग मीटर (लगभग) और निवल क्षेत्र लगभग 1689 वर्ग मीटर (लगभग) है।

2. निम्नलिखित योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आद्योपांत (टर्नकी) आधार पर इस आयोजन के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है:

2.1 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह/संबंधित संगठन के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

2.2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में पवेलियन की स्थापना के लिए आद्योपांत आधार पर परियोजनाओं को अवधारणा, डिजाइन और निष्पादित करने में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। कार्यादेश की प्रति संलग्न की जाए।

2.3 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18 , 2018-19 और 2019-20 के दौरान न्यूनतम रु 5,00,00,000 / - (पांच करोड़ रुपये मात्र) का टर्नओवर हो। उपर्युक्त अवधि के लिए आवेदक संगठन के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाण पत्र संलग्न करें । टर्नओवर केवल केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह /संबंधित संगठन के नाम पर।

2.4 बोली प्रस्तुत करने के लिए 1,00,000/- रु (एक लाख रुपए मात्र) ई.एम.डी डीडी के रूप में "एपीडा" नई दिल्ली के पक्ष में में देय प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसियों को रियायत निविदा दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी " रियायत प्रमाण पत्र" की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन लागू होगी।

2.5 एक स्व-प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करना होगा जिसमे यह उल्लेख किया गया हो कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

3. कार्य का क्षेत्र

एपीडा द्वारा इस इवेंट के लिए संलग्न एजेंसी को निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा : -

3.1 कॉमन क्षेत्र में (एक्ज़िबिटर के अतिरिक्त) शामिल होगा:

3.1.1 पवेलियन' के डिजाइन में सैम्पलों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त जगह के साथ लगभग 150 वर्ग मीटर का थीम क्षेत्र शामिल होगा।

3.1.2 पवेलियन का विषय (थीम) "अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023" होगा।

3.1.3 आयोजकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार एपीडा पवेलियन की ब्रांडिंग और दृश्यता उपलब्ध हो।

3.1.4 बैठक कक्ष में सोफा सहित गोल मेज़ के साथ 4 खुली बैठक और 16 कुर्सियां हो।

3.1.5 बेज लकड़ी के फर्श सहित एलईडी लाइट के साथ 100 मिमी ऊंचा प्लेटफॉर्म।

3.1.6 पेंट फिनिश में एमडीएफ (न्यूनतम आकार 50 मिमी) के साथ क्लेडेड डबल साइड टिम्बर में पार्टिशन वॉल्स।

3.1.7 दोनों तरफ सामने ट्रांस लाइट के साथ कस्टम निर्मित रिसेप्शन टेबल उपलब्ध हो।

3.1.8 प्रस्तावित पवेलियन पूर्ण लकड़ी के ढांचे में कस्टम डिजाइन का हो।

3.1.9 जेनरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर हो ताकि अंतिम गैटअप में सिलवटें न आएं। सामान्य ब्रांडिंग बैनर में उज्ज्वल - सफेद लाइटिंग हो।

3.1.10 इसके अतिरिक्त पवेलियन '/स्टॉल, स्टॉल्स की ऊंचाई के निर्माण की शर्तों के लिए आप www.indiatradefair.com से संदर्भ लें। पूरे एपीडा में चलने वाली फेसिया और ब्रांडिंग , मूल संरचना से ऊपर होगी।

3.1.11 एपीडा उपयोग के लिए सभी सामान्य क्षेत्रों को लकड़ी के फर्श के साथ प्रतिष्ठित किया जाएगा।

3.1.12 पवेलियन पूरी तरह से पर्याप्त सफेद रोशनी के साथ उज्जवल रूप से प्रकाशित किया जाएगा जिससे पूरे पवेलियन' में अंधेरे न हो।

3.1.13 पवेलियन में वीआईपी लाउंज, कार्यालय, स्टोर, पेंट्री और खुली बैठक क्षेत्र हो। वीआईपी लाउंज में कम से कम 15 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता , सेंटर टेबल, स्टोर, पेंट्री और खुली बैठक क्षेत्र के साथ सोफा सेट होंगे।

3.2 एक्ज़िबिटर स्टॉल:

पवेलियन' में एक्ज़िबिटर्स के लिए 9 वर्ग मीटर के पवेलियन बने हों जो कोविड 19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में सरकार के निर्देशों के मद्देनजर आईटीपीओ के दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों ओर से खुले हों। 9 वर्ग मीटर के गुणकों में बड़े बूथ हो। प्रदर्शकों की आवश्यकता के आधार पर जो तदनुसार सूचित किया जाएगा।

1. 9 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित बूथ में निम्न मानक फर्नीचर हो।
2. एक गोल मेज़
3. 4 कुर्सियां
4. 100 वॉट या समक्ष की 5 स्पॉट लाइट्स
5. तीन अलमारियां
6. एक पॉवर प्वाइंट
7. कालीन और बैकलिट फास्किया
8. एक वेस्ट पेपर बास्केट
9. एक लॉकेबल काउंटर
10. इसके अतिरिक्त, एजेंसी द्वारा एक्ज़िबिटर की आवश्यकतानुसार उचित कीमत पर अतिरिक्त फर्नीचर वस्तुएं उपलब्ध की जाएं जिसका भुगतान संबंधित प्रदर्शक द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त फर्नीचर की लागत को वित्तीय बोली दस्तावेज के साथ जोड़ा जाए।

3.3 अन्य गतिविधियां

3.3.1 DVD प्लेयर/पेन ड्राइव के साथ कम से कम एक एल.ई.डी वॉल साइज़ का प्रावधान किया जाए।

3.3.2 बिजनेस ऑफिस प्रिंटर सहित कंप्यूटर/लेप्टॉप , टेलिफोन, इंटरनेट (wifi) और फोटोक्पियर के साथ सुसज्जित हो।

3.3.3 **पेंट्री में 25 तरह के नाश्ते सहित परिचरों के साथ कॉफी / चाय / सूप वेंडिंग मशीन , स्नैक्स (काजू, बादाम, बिस्कुट आदि) और पानी की मशीन उपलब्ध हो।**

3.3.4 डे शिफ्ट में चार परिचारिकाओं और सभी शिफ्ट में छः सुरक्षा गार्डों को एजेंसी द्वारा उपलब्ध किया जाए।

3.3.5 **निम्नलिखित का विकास, निर्माण और मुद्रण:**

क) प्रदर्शकों निर्देशिका (500 प्रतियां - आकार 7 "x9.5")।

ख) एपीडा की कॉर्पोरेट विवरणिका (2000 प्रतियां - आकार 7 "x9.5")।

ग) एपीडा का ऑर्गेनिक ब्रोशर (2000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

घ) एपीडा का प्रसंस्कृत खाद्य ब्रोशर (2000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

ङ) एपीडा का ताजा फल और सब्जियां ब्रोशर (2000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

च) एपीडा का पशु उत्पाद ब्रोशर (2000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

छ) एपीडा का अनाज उत्पाद ब्रोशर (2000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

ज) एपीडा का वाइन ब्रोशर (2000 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

झ) जीआई कृषि उत्पादों पर पुस्तिका (500 प्रतियां - आकार 7 "x9.5")।

3.3.6 **इसके अतिरिक्त, चयनित एजेंसी को एपीडा द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर संपादन, प्रूफ रीडिंग और वैल्यू एडिशन के साथ सामग्री को निर्मित करना होगा।**

3.3.7 पूरे इवेंट की हाई रेज़ोल्यूशन की स्टिल फोटोग्राफी की जाए और मैट फिनिश की 5 X7 आकार की कम से कम 100 फोटो के दो फोटो एल्बम प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही गतिविधि के लिए 3 मिनट के वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने और एपीडा की वेबसाइट पर लिंक प्रदान करने के लिए एक पेशेवर फोटोग्राफर की सेवाएं ली जानी चाहिए।

3.3.8 **प्रदर्शनी के दौरान निर्यातकों को प्रदर्शक बैज , विजिटर पास, एंट्री पास, एग्जिट पास, लेबर पास आदि सहित आवश्यक सुविधा प्रदान करना वेंडर का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी।**

3.3.9 एपीडा के निर्देश के अनुसार वेंडर द्वारा आयोजन के दौरान कम से कम 5 गुलदस्तों की व्यवस्था की जाए।

3.3.10 पांच दिनों तक लगभग 30 लोगों के लिए उत्तम गुणवत्ता का शाकाहारी/मांसाहारी भोजन उपलब्ध किया जाए।

3.3.11 **एपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले वीआईपी मेहमानों के लिए एपीडा स्मारिका (लगभग 10 और प्रत्येक का मूल्य लगभग 5000/- हो) उपलब्ध की जाए।**

3.3.12 एजेंसी, एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पवेलियन के अंदर नया कालीन उपलब्ध करेगी।

3.3.13 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे दीवार पैनल , लकड़ी सामग्री, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि अच्छी गुणवत्ता की हो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरों को प्रस्तुतिकरण के समय दिखाया और प्रस्तुत किया जाएगा।

3.3.14 समरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पोस्टर / पैनल के पैमाने समान होंगे।

3.3.15 एजेंसी द्वारा इवेंट की पूरी अवधि के लिए पवेलियन के रखरखाव , सफाई और अग्नि सुरक्षा के साथ भूनिर्माण का कार्य संभाला जाएगा।

3.3.16 एजेंसी को डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन से लेकर और डिस्मेंटलिंग तक पवेलियन को प्रबंधित करने के लिए टर्नकी आधार पर असाइनमेंट दिया जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो एजेंसी द्वारा व्यक्तिगत स्टॉल और अन्य अतिरिक्त आवश्यकताओं की स्थापना के संबंध में एपीडा से समन्वय किया जाएगा।

3.3.17 प्रस्तावित डिजाइन, आईटीपीओ के मानदंडों के अनुसार होगा।

3.3.18 सभी व्यक्तिगत पवेलियन लकड़ी के बनें हों और इन सभी पवेलियन के एपीडा ब्रांड स्पष्ट रूप से दृष्टव्य हो।

3.3.19 अवधारणा में लेआउट योजना और उसके 3D दृश्य शामिल हों।

3.3.20 लेआउट, सजावट योजना आदि के साथ पवेलियन की अवधारणा/डिजाइन को हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी/पेनड्राइव में जमा किया जाना चाहिए। एजेंसी विभिन्न कोणों से एपीडा पवेलियन के पूर्ण प्रक्षेपण को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए 3डी मैज/एपीडा पैवेलियन की प्रस्तुति (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) प्रदान करेगी। इसे पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूर्ण 3डी लुक भी दिखाना चाहिए। 3डी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से होंगे।

3.3.21 वेंडर द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एपीडा द्वारा आवश्यक बिजली शुल्क का भुगतान किया जाएगा। हालांकि , निर्धारित सीमा से अधिक बिजली का भार प्रदर्शकों द्वारा भुगतान के आधार पर कड़ाई से किया जाएगा।

3.3.22 **कोविड -19 के समय के दौरान की जाने वाली सावधानियां**

क) समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

क) एपीडा पवेलियन के प्रवेश बिंदु पर और एपीडा पवेलियन के प्रत्येक गलियारे के प्रवेश स्थल पर हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का प्रावधान किया जाए।

ख) सरकार और आईटीपीओ के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टालों और गलियारों का सीमांकन किया जाए।

4 सामान्य

4.1 चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि अंत तक पवेलियन ' के निर्माण और रखरखाव एवं इवेंट के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद हो। चयनित बोलीदाता द्वारा ईवेंट के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान किया जाएगा।

4.2 शो के आयोजकों की अनुशंसा के अनुसार बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, पानी की आपूर्ति और अन्य सहायता प्रणाली आदि उपलब्ध किया जाए। तदनुसार पूर्वोक्त प्रावधानों को चयनित बोलीदाता द्वारा जांचा जाना आवश्यक है।

5 नियम एवं शर्तें

5.1 बोलीदाता एपीडा के निर्देशों और मार्गदर्शन के अंतर्गत काम करेगा। यह एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को कानूनी ढांचे के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

5.2 बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में उद्धृत किए जाएं।

5.3 इच्छुक पात्र एजेंसियां संलग्नक- । और ॥ के अनुसार नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) की बयाना राशि (ई.एम.डी) सहित सहायक दस्तावेज़ों के साथ बोली प्रस्तुत कर सकती हैं। वेंडर के चयन के बाद असफल एजेंसी को ई.एम.डी वापस कर दी जाएगी। चयनित एजेंसी के लिए ई.एम.डी राशि को अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा।

5.4 यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा कार्यरत श्रमशक्ति के संबंध में और कर संबंधित मामलों के लिए स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

5.5 **एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिड् दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। बोली की मान्यता बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन से 60 दिनों तक के लिए होगी।**

5.6 एपीडा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाले बोलीदाता द्वारा समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम स्तर का पालन किया जाए और वे किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त हो। बोलीदाता को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

5.7 एपीडा कार्य देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित एजेंसी प्रश्नगत अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल है।

5.8 आवेदक/बोलीदाता के भ्रष्ट या धोखाधड़ी मामलों से जुड़े होने या अनुबंध को निष्पादित करने की स्थिति में एपीडा द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए किसी भी समय अनिश्चित काल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आवेदक / बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5.9 एजेंसी को किसी भी दावे , नुकसान, मुकदमे, देयता के विरूद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

5.10 एक स्व-प्रमाणित घोषणा यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की जाए कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और यह वर्तमान में लागू नहीं है।

5.11 **वेंडर द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व आहार - 2023 एपीडा में एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ एपीडा के लिए तैयार किए गए पैनल, पवेलियन' के अंतिम डिजाइन की सॉफ्ट कॉपी सहित (सी.डी.आर प्रारूप में) को प्रस्तुत किया जाए। इसे एपीडा की सम्पत्ति माना जाएगा।**

5.12 आदेश देने के समय एजेंसी को साइट पर निष्पादित किए जाने वाले वास्तविक क्षेत्र के बारे में सूचित किया जाएगा और साइट पर किए गए वास्तविक माप के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

5.13 एजेंसी को प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान लैंडस्केपिंग के साथ-साथ रखरखाव , साफ-सफाई और पवेलियन की अग्नि सुरक्षा का कार्य करना होगा।

5.14 **एपीडा के अधिकार:**

5.14.1 पवेलियन और ग्रेफिक्स के डिजाइन के कॉपीराइट का अधिकार है।

5.14.2 डिजाइन योजना में लघु परिवर्तन कर सकता है।

5.14.3 अपनी समझ से आवेदक/बिड्स की प्रस्तुति के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है।

5.14.4 अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय बिना कोई कारण दिए और एपीडा पर कोई दायित्व दिए बिना किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

5.14.5 एपीडा के मत में सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन होने पर किसी भी समय अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर परियोजना को लंबित किया जा सकता है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा पूर्वोक्त कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी क्षति या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

5.14.6 यदि एपीडा के मत में सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो एपीडा द्वारा बोली की प्रक्रिया के पश्चात सफल एजेंसी को मिले नियम एवं शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.14.7 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए , अध्यक्ष एपीडा का निर्णय दोनों पक्षों अर्थात् बोलीदाता और एपीडा के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6 तकनीकी और वित्तीय बोलियों की प्रस्तुति हेतु दिशा-निर्देश

6.1 सील की गई तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों को अलग-अलग लिफाफे में इवेंट के नाम के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अर्थात् नई दिल्ली में दिनांक 14 से 18 मार्च 2023 के दौरान आयोजित होने वाले **"आहार 2023"** इवेंट के लिए बोलियों को **दिनांक 03.02.2023 को शाम 5:30 बजे** तक प्रस्तुत किया जाए। बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों के आवेदन की अनुमति नहीं है और इसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.2 **कवर 1: तकनीकी बोली:** निम्नलिखित दस्तावेज़ों सहित इवेंट का नाम और "तकनीकी बोली" विषय सब्स्क्राइब करें:

(संलग्नक I)

बोलीदाता द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए जाएं:	
एजेंसी के नाम के साथ पता	
संपर्क व्यक्ति का नाम, पद और संपर्क विवरण	
कुल वेतन भुगतान पर कर्मचारी संख्या सहित एजेंसी की प्रोफाइल	
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में पवेलियन की स्थापना के लिए आद्योपांत आधार पर परियोजनाओं को अवधारणा, डिजाइन और निष्पादित करने में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। (कार्यादेश की प्रतियां संलग्न की जाए)	
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् **2017-18, 2018-19 और 2019-20** के दौरान न्यूनतम रु 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये मात्र) का टर्नओवर हो। उपर्युक्त अवधि के लिए आवेदक संगठन के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाण पत्र संलग्न करें। टर्नओवर केवल केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह संबंधित/ संगठन के नाम पर।	
पिछले 5 वर्षों की नवीनतम आयकर विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि और जीएसटी संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि। ये दस्तावेज़ केवल आवेदक संगठन के नामपर हो न कि समूह/संबंधित संगठन के नाम पर। अन्य	

शब्दों में दस्तावेज़ों में आवेदक संगठन का नाम समान हो।	
बोली के लिए एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में डी.डी के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) की ब्याज मुक्त बयाना राशि "ई.एम.डी'' प्रस्तुत की जाए। ये राशि प्रस्तुत न करने की स्थिति में बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।	
एक स्व-प्रमाणित उपक्रम को यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाए कि एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।	

6.3 **कवर 2: वित्तीय बोली:** निम्नलिखित दस्तावेज़ों/विवरण को शामिल करने के लिए इवेंट का नाम **"वित्तीय बोली" (संलग्नक II)**

वित्तीय बोली को भारतीय रुपए में अलग से प्रमुख घटकों के ब्रेक-अप के साथ विधिवत हस्ताक्षरित, सील और दिनांकित किया जाए । कोई एकमुश्त राशि नहीं मानी जाएगी। इसे विधिवत रूप से सील किए गए पृथक लिफाफे में रखा जाए।

संलग्नक II (वित्तीय बोली)

दिनांक 14 से 18 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में "आहार 2023" में एपीडा पवेलियन की डिजाइनिंग और निर्माण-कार्य के लिए वित्तीय बोली

क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**राशि (रूपए में)**
1.	उपर्युक्त 3 (I) में उल्लिखित विवरणों के आधार कॉमन एरिया का निर्माण और फर्निशिंग	
2.	उपर्युक्त 3 (II) में उल्लिखित विवरणों के आधार एक्ज़िबिटर स्टॉल का निर्माण और फर्निशिंग	
3.	उपर्युक्त 3.3 के आधार पर गतिविधियां	
4.	लागू कर	
	कुल राशि (करों सहित)	

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

हस्ताक्षरी का नाम और पद के साथ कंपनी की मुहर

तिथि:

स्थान:

आवश्यकतानुसार वैकल्पिक वस्तुएं

क्र.सं.	**वस्तु**	**प्रति इकाई**	**रूपए में कीमत**
1.	शेल्फ		
2.	शो केस (ग्लास काउंटर)		
3.	टेबल		
4.	कुर्सी		
5.	स्पॉट लाइट		
6.	काउंटर		
7.	रेफ्रिजरेटर		
8.	माइक्रोवेव		
9.	हॉट केस		

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

हस्ताक्षरी का नाम और पद के साथ कंपनी की मुहर

तिथि:

स्थान:

7 चयन प्रक्रिया

एपीडा में एक समिति एजेंसियों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देने के लिए शॉर्टलिस्ट एजेंसियों की आवश्यकता होगी।

प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दे सकते हैं:

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**स्कोर / वेटेज**
1.	समग्र अवधारणा और डिजाइन	30
2.	खाद्य उत्पादों के शक्तिशाली स्रोत के रूप में भारत का महत्वपूर्ण चित्रण।	20
3.	एपीडा को आवंटित फर्श क्षेत्र के अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम और स्थल का सर्वोत्तम उपयोग।	10

<table>
<tr><td>4.</td><td>पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए कंपनी का टर्नओवर: अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:
<table><tr><td>क. 5 करोड़ रुपए तक</td><td>2 अंक</td></tr><tr><td>ख. 5 - 10 करोड़ रुपए तक</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>ग. 10 करोड़ रुपए से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान प्रकृति का पिछला कार्य। अंको का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:
<table><tr><td>क. 5 वर्षों तक</td><td>2 अंक</td></tr><tr><td>ख. 5 - 10 वर्षों तक</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>ग. 10 वर्षों से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
</table>

8 वित्तीय बोलियों का आरंभ:

अंकन सभी प्रस्तुतियों पर किया जाएगा। जो वेंडर तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) सुरक्षित करते हैं , उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी। वित्तीय बोली में अधिकतम 30 अंक होंगे। अंकन की गणना के लिए निम्न विधि होगी:

L1 = 30 अंक

L2 = 30XL1 (L1 द्वारा उद्धृत मूल्य) / L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत) और L3, L4 आदि के लिए इसी तरह से (पार्टियों की संख्या पर निर्भर करता है)।

वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के बाद तकनीकी और वित्तीय अंक जोड़े जाएंगे और उच्चतम कुल अंकों की स्कोरिंग करने वाली एजेंसी चयनित किया जाएगा।

चयन समिति के पास अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय , किसी भी कारण को बताए बिना और एपीडा पर किसी भी देयता के दायित्व के बिना घोषणा को वापस लेने , स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। एपीडा के पास कीमतों में कमी लाने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी है।

अप्रत्याशित घटना:

इस अनुबंध के दौरान यदि किसी भी समय किसी भी पक्ष के द्वारा युद्ध , सार्वजनिक शत्रु की गतिविधि, नागरिक विद्रोह, अंतर्ध्वंस, राज्य विधान या सांविधिक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो स्थापनाओं और कॉन्ट्रैक्टर की सुविधाओं तक

सीमित नहीं है), आग लगने, बाढ़ आने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे एक्ट ऑफ गॉड (इसके बाद इवेंट के रूप में जाना जाता है) के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अपने दायित्व/कार्योंको रोका या लंबित किया जाता है और प्रभावित पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को इस प्रकार की घटनाओं की सूचना 15 कैलेंडर दिनों के भीतर देने पर किसी भी प्रकार के गैर-प्रदर्शन/प्रदर्शन के निलंबन की स्थिति में न तो पार्टी इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी, और न ही पार्टी के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन के बारे में या प्रदर्शन में देरी के संबंध में , दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए इस तरह के कोई दावे नहीं होंगे। इस तरह के इवेंट (घटना) के समाप्त होने या अस्तित्व में आने के बाद अनुबंध को फिर से शुरू किया जा सकेगा। सेवा को शुरु करने या ना करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष , एपीडा का होगा। इस अनुबंध के अंतर्गत ऐसी किसी भी घटना के कारण 30 दिन की अवधि से अधिक होने पर इवेंट को रोका जा सकता है या पार्टी के अनुबंध को समाप्त किया सकता है।

9. मध्यस्थता:

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। किसी भी विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष सुलह के लिए सभी प्रयास करेंगे। किसी भी प्रश्न के संबंध में , विवाद या उस संबंध में समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अंतर (मामलों के अतिरिक्त , इस समझौते के अंतर्गत विशेष रूप से प्रदान किया गया निर्णय) अनसुलझा रहता है , उसी को एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किया जाना है और उनके द्वारा दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष , एपीडा द्वारा निर्णित कोई अन्य स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान हो सकता है। पूर्वोक्त रूप में किसी भी और प्रत्येक संदर्भ के अनुसार , कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेकाधीन होगा।

10. भुगतान की शर्तें:

सफल एजेंसी को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

10.1 वस्तुओं पर किए गए खर्च के प्रमाण की प्रस्तुति पर या समान राशि की बैंक गारंटी के पर 50% तक की लागत का अग्रिम भुगतान।
10.2इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु इवेंट के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।
10.3बोलीदाता को तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

11. बोलियों की प्रस्तुति

बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोलियां प्रस्तुत की जाएं:

11.1 लिफाफा I: ई.एम.डी- नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 1 ,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए मात्र) के डी.डी के रूप में बयाना राशि।

11.2 लिफाफा II: इसमें सहायक दस्तावेज़ों के साथ विधिवत रूप से भरा गया **संलग्नक-I (तकनीकी बोली)** हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर "नई दिल्ली में 14-18 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाले आहार 2023 में एपीडा पवेलियन हेतु तकनीकी बोली" उल्लिखित हो।

11.3 लिफाफा III: इसमें **संलग्नक-II (वित्तीय बोली)** हो जिसे लेआउट योजना और निविदा दस्तावेज़ के नियम एवं शर्तों के आधार पर एपीडा की पूर्ण परियोजना हेतु सभी करों को शामिल कर भारतीय रूपयों में बोली के मूल्य के लिए विधिवत रूप से भरा गया हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर "नई दिल्ली में 14-18 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाले आहार 2023 में एपीडा पवेलियन हेतु वित्तीय बोली" उल्लिखित हो।

11.4 लिफाफा IV: (लिफाफा IV में लिफाफे- I, II, III रखे जाएं और लिफाफा IV को भी मुहरबंद किया जाए। लिफाफे- I, II, III और IV पर स्पष्ट रूप से बोलीदाता का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नं., ई-मेल लिखा जाए। प्रमुख लिफाफे (लिफाफा IV) पर इस "नई दिल्ली में 14-18 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाले आहार 2023 में एपीडा पवेलियन हेतु तकनीकी बोली और वित्तीय बोली" उल्लिखित हो। नीचे दिए गए पते पर बोली निदेशक महोदय को प्रस्तुत की जाएगी।

12. प्रदर्शन आश्वासन

यदि एजेंसी का प्रदर्शन कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी प्रकार की कमी रह जाती है/ कार्य के क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

कृपया ध्यान दें: दिनांक 18 जनवरी 2023 को 11.00 बजे बोली पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी।

बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **03.02.2023 सायं 5:30 बजे** तक है। पूर्ण आवेदनों को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:

निदेशक
एपीडा
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3,
सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,
एशियार्ड गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110016